



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर मन्दि, जी-३/१, राजमहल रोड़ीडेन्सी एरिया, जयपुर-३०२००५

क्रमांक: एफ.1(3)()रथा./सान्याअवि/21/16877 जयपुर, दिनांक:- 27/12/2021
कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इनका पदरखापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि.वि.
1.	श्री नारायण लाल यादव	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि, बांसवाड़ा	कार्यालय, उप निदेशक, सान्याअवि, उदयपुर	पदोन्नति पर
2.	श्री धीसाराम	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय, अधीक्षक बालिका गृह, उदयपुर	कार्यालय, अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, उदयपुर	पदोन्नति पर
3.	श्री गौरेलाल	वरिष्ठ सहायक	अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, धौलपुर	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि, धौलपुर	पदोन्नति पर
4.	श्री कपिल कुमार	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय, सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर	कार्यालय सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर	पदोन्नति पर

उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं को इसी आदेश से कार्यमुक्त मानकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

3

(ओ. पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.1(3)()रथा./सान्याअवि/21/16878-१० जयपुर, दिनांक:- 27/12/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ठ सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, सान्याअवि, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राज0, जयपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....।
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशारण), सान्याअवि, राज0, जयपुर।



75

- ✓ 8. संयुक्त निदेशक, आई.टी. मुख्यावास, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. कौषधिकारी कोष कार्यालय.....।
10. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता / जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता अधिकारिता विभाग.....।
11. सम्बन्धित श्री.....।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री।
13. आदेश पत्रावली।

४४
(उम्मद सिंह)

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)